(88)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016

नि 3049-I/16

1. बलुवा उर्फ बल्लु केवट पुत्र श्री गुरूमन केवट,
2. रामप्रसाद केवट पुत्र श्री खुन्नी केवट,
3. करन्जू केवट पुत्र श्री दीवाली केवट, समस्त निवासीगण– पुनौल खास तह. जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

--आवेदकगण

विनोद भार्गव अधि
आज दि 5-9-16 को

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती संगीता राय पत्नी श्री राजकुमार राय,
2. कृपा पुत्र श्री **गुरूमन** केवट,
3. किशोरी पुत्र **श्री गुरूमन** केवट, समस्त निवासीगण– **पुनौल खास** तह. जतारा, जिला टीकमगढ़ **(म.प्र.)**

--अनावेदकगण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
05-09-2016

<u>न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त दिगोड़ा, तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ-3/13-14 में पारित आदेश दिनांक 24/09/2014, के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, खसरा क्रमांक 472/1, 455/3 एवं 728/5 रकबा 1.193 हे. स्थित ग्राम पुनौल खास में आवेदकगण भूमि स्वामी एवं मौके पर आधिपत्यधारी है।

2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नकशे में **तरमीम** किये जाने हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन किया **गया जिस** पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना तथा **सुनवाई** का अवसर प्रदान किये बिना नकशे में विधि विपरीत तरमीम **किये** जाने का आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य **है**।

3. यहकि, नकशा तरमीम/बंटाकन सरहदी काश्तकारों **एवं** हितबद्ध व्यक्तियों को विधिवत सूचना तथा सुनवाई का अवसर **प्रदान** किये बिना नहीं

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3049-एक/2016 जिला टीकमगढ़ बलुवा विरूद्ध संगीता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह नायब तहसीलदार वृत्त दिगोढ़ा तहसील जतारा टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 6/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24-09-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 6.3.2019	